न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 21/2010 (उदयपुर डिक्री)

नाथूलाल पिता तुलसीराम जी लुहार, निवासी भुवाणा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. वेणा पिता नाना जी डांगी, निवासी भुवाणा (आमलिया की मगरी), तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

2. नारायण पिता किशना जी लुहार (मृतक) के बजाय :–

2/1. किशनलाल पिता स्वर्गीय नारायणलाल जी लुहार, निवासी इन्द्रपुरी कॉलोनी, भुवाणा बाई पास रोड़, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

2/2. श्रीमती मांगी बाई पुत्री स्व. नारायणलाल जी लुहार, निवासी इन्द्रपुरी कॉलोनी, भुवाणा बाई पास रोड़, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त0 अधि0– 1955 विरूद्ध निर्णय
एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा
दिनांक 30.10.2006 प्र.सं. 37/2006

---/---

उपस्थित(वक्तबहस) 1. श्री संजय बोहरा अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री ओंकारलाल डांगी अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट

---:::---

निर्णय **दिनांक 30–10–2017**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी/अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 तथा श्री लक्ष्मीलाल के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम भुवाणा की आराजी नंबर 1179 रकबा 0.0700 हैक्टर जिसके साबिक आराजी 918 रकबा

1 बीघा थे में से 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 नारायणलाल ने दिनांक 11–07–1980 को रजिस्टर्ड विक्रय से बेहकर कब्जा सौप दिया, तब से वादी काबिज होकर काश्त करना चला आ रहा है, जिसके पड़ोस वाद पत्र की कलम संख्या 2 में वर्णित हैं। हाल पैमाईश में भू–प्रबन्ध विभाग ने प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की मिली भगत से वादी को बिना सूचना दिये वादी की खरीदशुदा भूमि प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दी गयी। अतएवं वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित भूमि का वादी को खातेदार घोषित किया जावे एवं स्थाई निषेधाज्ञा व विधिक अनुतोष दिलाया जावे।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से सहमति का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी 2 व 3 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी तथा वादी की साक्ष्य लेने के बाद अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 30–10–2006 को निर्णय पारित करते हुए वादी का वाद डिक्री किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 15–02–2010 को पेश की गयी है।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलान्ट पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामिल नहीं करवायी गयी तथा बिना तामिल के ही नोटिस पर फर्जी हस्ताक्षर करा तामिल मानकर आदेश पारित कर दिया गया। लक्ष्मीलाल मरा हुआ व्यक्ति है, मरे हुए व्यक्ति के विरूद्ध तामिल मानकर जो आदिश पारित किया है वह गलत है। अपीलान्ट को उक्त निर्णय की प्रथम बार जानकारी दिनांक 04–02–2010 को प्रथम बार तब हुई जब पटवारी के पास अपीलान्ट नकल लेने गया। जानकारी दिनांक से अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत कर दी गयी है। अतएवं दिनांक 30–10–2006 से दिनांक 04–02–2010 तक की समयावधि को कण्डोन किया जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया। उक्त दफा 5 के आवेदन के साथ अपीलान्ट ने खसरा परिशोधन पत्र, मिलान क्षेत्रफल व खसरा पत्रक भी प्रस्तुत किये।

प्रकरण में दिनांक 03–12–2013 को आदेश 41 नियम 27 जा.दी. के आवेदन प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलान्ट पर सम्मन की तामिल नहीं हुई थी तथा जानबूझकर सम्मन पर अपीलान्ट के फर्जी हस्ताक्षर कर दिये

गये, जिससे अपीलान्ट अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका। इस कारण निम्न दस्तावेज पेश करना चाहता है :—

(1) नक्शा ट्रेस

(2) नकल लगान

(3) नकल मृत्यु प्रमाण पत्र

(4) नकल यू.आई.टी. के नोटिस

(5) नकल एफ.एस.एल. रिपोर्ट

→ नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत नहीं की गयी है, इसलिए उसे रेकार्ड पर नहीं लिया जा सकता। नकल लगान की मूल प्रति अपीलान्ट द्वारा दिखायी गयी। मृत्यु प्रमाण पत्र व नगर विकास प्रन्यास द्वारा जारी नोटिस की प्रमाणित भी हमारे द्वारा देखी गयी। प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा फोरेन्सिस साईन्स आर्गनाईजेशन की रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी जो निजी संस्थान द्वारा जारी रिपोर्ट है, जिसे रेकार्ड पर नहीं रखा जा सकता। तद्नुसार अपीलान्ट द्वारा पेश शुदा दस्तावेजों में से कम संख्या 2, 3, 4 तक के दस्तावेज रेकार्ड पर रखे जाने की अनुज्ञा दी जाती है।

प्रकरण में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा भी दिनांक 21—02—2017 को आदेश 41 नियम 27 जा.दी. का आवेदन प्रस्तुत कर उसके साथ मौके की वर्तमान स्थिति के फोटोग्राफ, नकल विक्रय पत्र दिनांक 16—06—1980 जो नारायण द्वारा जीवा को विक्रय की गयी तथा नकल जमाबन्दी पेश की, जिसके खण्डन का जवाब अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत कर कथन किया कि रेस्पोन्डेन्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में उक्त दस्तावेज क्यों पेश नहीं किये गये, इसका कोई कारण स्पष्ट नहीं किया है।

→ वस्तुतः रेस्पोन्डेन्ट द्वारा उक्त दस्तावेजात अपीलान्ट द्वारा पेश शुदा दस्तावेजात के खण्डन में प्रस्तुत किये गये हैं तथा विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि व फोटोग्राफ होने से उन्हें रेकार्ड पर रखे जाने की अनुज्ञा दी जाती है।

प्रकरण में दौराने बहस हमारे द्वारा विवादित आराजी नंबर 1179 की प्रतिलिपि भी अपना खाता से निकलवाई गयी, जिसमें विवादित भूमि नगर विकास प्रन्यास के नाम आबादी के रूप में दर्ज है। प्रकरण में हम सर्वप्रथम दफा 5 जाब्ता मियाद पर निर्णय करना उचित समझते हैं।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि प्रकरण में अपीलान्ट नाथूलाल को जारी नोटिस की तामिल अपीलान्ट ने स्वयं नाथूलाल पर तामिल मानी है, लेकिन तामिल कुनिन्दा द्वारा यह अंकित किया गया कि ''प्रार्थी ने बताया कि मेरा भाई मेरे साथ में रहता है सो तामिल भाई को दी।'' इसी प्रकार नारायण को जारी नोटिस नारायण की व्यक्तिगत तामिल है तथा लक्ष्मीलाल को जारी नोटिस पर नारायणलाल द्वारा व्यक्तिगत रूप से मानकर की गयी है। प्रथम दृष्टया अपीलान्ट नाथूलाल का यह कथन कि लक्ष्मीलाल व नारायणलाल को जारी नोटिस के तामिल व्यक्तिगत रूप से नहीं हुई है तथा यह भी सुस्पष्ट होता है कि प्रकरण में पेश शुदा मृत्यु प्रमाण पत्र अनुसार लक्ष्मीलाल की मृत्यु पहले ही हो चुकी है। इन समस्त परिस्थितियों में मयाद कण्डोन किया जाना हम उचित समझते हैं। तद्नुसार न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किया गया। दौराने कार्यवाही रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की मृत्यु हो जाने से उसके कायम मुकाम संस्थित किये गये। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

प्रकरण में बहस सुने जाने के बाद दिनांक 25–10–2017 को वकील रेस्पोन्डेन्ट द्वारा दफा 5 जाब्ता मियाद के अपीलान्ट के आवेदन का जवाब प्रस्तुत किया गया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। इसी प्रकार उक्त दिनांक 25–10–2017 को ही वकील अपीलान्ट ने कुल 6 दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत की, जिन्हें पत्रावली के रेकार्ड पर रखा गया।

वकील अपीलान्ट ने प्रमुख रूप से यह उजर लिया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मरे हुए व्यक्ति के विरूद्ध डिक्री जारी की गयी है। लक्ष्मीलाल का काफी समय पूर्व देहान्त हो चुका है तथा जब लक्ष्मीलाल जिन्दा ही नहीं

था तो उसकी तामिल किस प्रकार हुई, इस सम्बन्ध में तामिल कुनिन्दा पर कार्यवाही की जाना आवश्यक है, क्योंकि लक्ष्मीलाल नारायणलाल की फैमिली का सदस्य नहीं है तथा वह कभी भी नारायणलाल के साथ नहीं रहा है, इसलिए अगर व जिन्दा होता तो भी नारायणलाल द्वारा की गयी तामिल को लक्ष्मीलाल की तामिल नहीं माना जा सकता। वादग्रस्त भूमि शामलाती होकर नारायणलाल को अकेले विक्रय करने का अधिकार नहीं था। वादी/ रेस्पोन्डेन्ट ने विक्रय पत्र को साबित नहीं करवाया है तथा इस जमीन के संबंध में संवत् 2031 से 2034 की जमाबन्दी रेकार्ड पर नहीं होते हुए भी संवत् 2031 से 2034 की जमाबन्दी को मानते हुए जो निर्णय पारित किया है, वह गलत है। सन् 1977 में अकेले नारायणलाल के नाम भूमि गलत दर्ज हो गयी थी, उसके लिए सहमति से सभी सहखातेदारों के नाम दर्ज करने के आदेश सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी दिनांक 05–10–1977 के पारित किया गया, जिस पर स्वयं नारायणलाल के भी हस्ताक्षर हैं। अधिनस्थ न्यायालय में जो आपसी समझौता हुआ था तथा उसी आधार पर खसरा परिशोधन पत्र तैयार हुआ था व सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी ने सभी सहखातेदारों के नाम भूमि दर्ज करने का आदेश दिया, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस बात का ध्यान रखे बिना निर्णय पारित किया गया है, जो त्रुटि पूर्ण है।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तथा उभयपक्ष की बहस एवं अपीलान्ट द्वारा लिये गये विभिन्न उजरात पर मनन किया तो यह पाया कि प्रथम दृष्टया इस प्रकरण में प्रतिवादीगणों को सम्मन की विधिवत तामिल नहीं हुई है तथा प्रकरण मेंयह भी पाया गया कि वर्तमान में भूमि नगर विकास प्रन्यास के नाम दर्ज है, जिसे भी सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाना आवश्यक है। उक्त भूमि अवाप्त होकर अथवा अन्य किसी प्रकार से नगर विकास प्रन्यास के नाम दर्ज हुई है इसलिए उसे सुनवाई का अवसर दिया जाना विधिक उपादेयता है तथा स्पष्ट रूप से नगर विकास प्रन्यास हितबद्ध, व्यथित एवं आवश्यक पक्षकार है।

अतएवं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 30–10–2006 अपास्त की जाती है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में नगर विकास प्रन्यास को प्रतिवादी संख्या 4 के रूप में संस्थित

किया जाकर तथा साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाकर एवं सभी पक्षों को सुनकर प्रकरण में अजसरेनव निर्णय पारित करें।

पक्षकारान अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 29–12–2017 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 30–10–2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत............**भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰**.........मुकाम..............**उदयपुर**............
व इजलास ....**एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰** ....

खुमाणसिंह पिता अमरसिंह जी झाला निवासी उदयसागर चौराहा, बिछड़ी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर <u>बनाम</u> **भंवरसिंह पिता खुमाणसिंह जी झाला निवासी उदयसागर चौराहा, बिछड़ी, तह0 गिर्वा, जिला उदयपुर व अन्य**

अपील नं॰..........**49/2016**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.............**गिर्वा**............. मुकाम................मुवर्खे.............**29**...............माह..............**10**............**2015**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख........**24**....माह........**05**.......सन् **2017** रूबरू........**पक्षकारान** व हाजरी......**श्री हीरालाल कटारिया**.......मिनजानिब अपीलान्ट व......**श्री कुन्दनसिंह सोनी**

............रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि........ **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 29–10–2015 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.......)........रूपये .... **X**...... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का......................... **X** ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.........**24**......माह.......**05**...........**2017** को जारी किया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा .... 4. वकील फीस बाबत .... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी .... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील........... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।